



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

६० 296]
No. 296]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 11, 1983/श्रावण 20, 1905
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 11, 1983/ SRAVANA 20, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय
(व्यय विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1983

सा. का. नि. 622(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक और अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत कर्मचारियों के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् अनुपूरक नियमों में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का नाम अनुपूरक (संशोधन) नियम, 1983 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. अनुपूरक नियमों में, नियम 307 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“307 (1) अन्यत्र सेवागत किसी सरकारी सेवक के संबंध में शोध्य छुट्टी-वेतन या पेंशन के लिए कोई

अभिदाय, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अवसान से पन्द्रह दिन के भीतर या यदि अन्यत्र सेवा पर प्रतिनियुक्ति किसी वित्तीय वर्ष के अवसान से पूर्व समाप्त हो जाती है तो अन्यत्र सेवा की समाप्ति पर, वार्षिक रूप से संदत्त किया जा सकता है और यदि उक्त अवधि के भीतर संदाय नहीं किया जाता है तो असंदत्त अभिदाय पर पूर्वोक्त अवधि के अवसान की तारीख से उसी तारीख तक, जिस पर अभिदाय अंतिम रूप से संदत्त किया जाता है, दो पैसे प्रति सौ रुपए प्रति दिन की दर से ब्याज, जब तक कि वह राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट माफ नहीं कर दिया जाए, सरकार को दिया जाएगा। सरकारी सेवक या अन्यत्र नियोजक में से जो भी अभिदाय का संदाय करता है, ब्याज का संदाय भी वहां करेगा।

2. छुट्टी-वेतन और पेंशन अभिदाय पृथक् संदत्त किए जाने चाहिए क्योंकि वे भिन्न लेखा-शीटों में जमा खाते किए जाते हैं और सरकार से, किसी भी मददे शोध्य कोई रकम इन अभिदायों के प्रति मूजरा नहीं की जानी चाहिए।”

[संख्या एक 1(1)-संस्था. 3/83]
आर. सी. पुरी, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Expenditure)
NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 1983

G.S.R. 622(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution, the President, after consultation with the Comptroller and Auditor-General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, hereby makes the following rules further to amend the Supplementary Rules, namely :—

1. (1) These rules may be called the Supplementary (Amendment) Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Supplementary Rules, for rule 307, the following rule shall be substituted, namely :—

“307(1) Contribution for leave salary or pension, due in respect of a Government

servant on foreign service, may be paid annually within fifteen days from the end of each financial year or at the end of the foreign service, if the deputation on foreign service expires before the end of a financial year, and if the payment is not made within the said period, interest must be paid to Government on the unpaid contribution, unless it is specifically remitted by the President, at the rate of two paise per day per Rs. 100/- from the date of expiry of the period aforesaid upto the date on which the contribution is finally paid. The interest shall be paid by the Government servant or the foreign employer according as the contribution is paid by the former or the latter.

(2) The leave salary and pension contributions should be paid separately as they are creditable to different Heads of Accounts and no dues recoverable from Government, on any account, should be set off against these contributions.”

[No. F. 1(1)-E. III/83]
R. C. PURI, Dy. Secy.